उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-60/2017/2716जेएल/22-3-17-100(48)/2014
लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-27600/2015-सन्नी उर्फ चिड़ा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य को क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन संख्या-7030/2015-सुन्दर भाटी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सहबद्ध करते हुए, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29-05-2017 को पारित निर्णय के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

" In view of our above answers to question nos. 1 and 2, we are passing the following orders:

(1). Writ Petition Nos1. Writ Petition Nos. 7030/2015 (Annexure Nos.3, 4, 5 and 6), 24104/2015(Annexure No.5), 29764/2015 (Annexure Nos.2, 3 and 4), 7123/2016, (Annexure no.1), 11594/2016 (Annexure Nos.1 and 12), 11865/2016 (Annexure No.3),17855/2016 (Annexure Nos.1, 2, 3 and 4), 3649/2016 (Annexure No.2), 11750/2016 (Annexure No.2), 19014/2016 (Annexure No.1) and 19739/2016(Annexure No.2) are allowed and impugned orders contained in the Annexures mentioned within bracket of the respective writ petitions are hereby quashed to the extent those relate to the petitioners' concerned.

(2). Writ Petition No. 11865/2016 is partly allowed and its Annexure Nos. 2 and 3 are hereby quashed to the extent those relate to the petitioner.

(3). Since the transfer orders, consequential orders and orders granting permission for transfer of the petitioners subject to challenge in the aforesaid writ petitions are quashed by us consequent to that, the respondents/authorities concerned are directed immediately to return back the petitioners concerned to the jails wherefrom they have been transferred to the present jails.

(4). It is clarified that quashing of the above orders will not preclude the State Government for passing of fresh transfer orders of the petitioners from one jail to another, if need arises to do so in accordance with law laid down by Hon'ble Apex Court in *State of Maharashtra's case.*

(5). The Writ Petition Nos. 27600/2015, 5132/2016 and 3441/2016 are disposed of with the directions that in case the petitioners submit their fresh representations within sixty days from today to the State Government/ concerned Authorities for redressal of their grievances stating all necessary facts alongwith affidavit and relevant

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

documentary evidence in support of their cases, same will be considered and decided within ninety days from the receipt thereof by means of reasoned and speaking orders, after providing opportunity of hearing to the petitioners."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में याची बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा द्वारा अपने भाई श्री राहुल के माध्यम से दिनांक रहित प्रत्यावेदन, मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक 07-07-2017 को प्राप्त कराया गया। चूँकि प्रत्यावेदन उप सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को संबोधित था, अतः मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-27069/अभिलेख अनु0/मिसेन्ट पत्रा/2017, दिनांक 28-07-2017 द्वारा इसे मूलरूप में याची बंदी को वापस कर दिया गया था। उक्त प्रत्यावेदन मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-07-2017 सहित मूलरूप में दिनांक 11-08-2017 को कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन में प्राप्त हुआ। याची बंदी द्वारा अपने प्रत्यावेदन में जेल स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07-10-2014 को अवैधानिक बताते हुए वापस लिये जाने तथा पुनः जिला कारागार, सहारनपुर अथवा आस-पास की कारागार में निरूद्ध किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 29-05-2017 के अनुपालन में उक्त प्रत्यावेदन पर सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय कक्ष में दिनांक 25-09-2017 को सुनवाई हुई, जिसमें याची बंदी की ओर से उसके भाई श्री राहुल उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उनके द्वारा बंदी के विरूद्ध जनपद-सहारनपुर में विचाराधीन वादों में निर्धारित तिथियों पर पेशी न हो पाने, बंदी की माता गम्भीर रूप से बीमार (ब्रेन हैमरेज) होने एवं विस्तर से उठ-बैठ नहीं पाने के कारण अपने बंदी पुत्र को मिलने जनपद-मुजफ्फरनगर न जा पाने के दृष्टिगत याची बंदी को जिला कारागार, मुजफ्फरनगर से जिला कारागार, सहारनपुर स्थानान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- याची बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा के प्रत्यावेदन पर महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-31012/सामा-1(3)/बंदी रिट(23)2015, दिनांक 26-08-2017 द्वारा यह आख्या उपलब्ध करायी गयी है कि वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा के पत्र दिनांक 30-07-2016 के अनुसार बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा पुत्र श्री हरीश शर्मा, जनपद-सहारनपुर में लम्बित वादों में निर्धारित तिथि 11-07-2016 व 12-07-2016 पर पेशी हेतु पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया था। दिनांक 12-07-2016 को उक्त बंदी को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी कराये जाने के बाद वापस लौटते समय वह जनपद-मेरठ में पुलिस अभिरक्षा से पलायन कर गया, जिसे पुनः गिरफ्तार कर दिनांक 24-11-2016 को जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध किया गया था तथा प्रशासनिक आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25-11-2016 के अनुपालन में दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

30-11-2016 को जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध किया गया है। बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा द्वारा जिला कारागार, सहारनपुर से केन्द्रीय कारागार, आगरा प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरण के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रश्नगत रिट याचिका योजित की गयी थी, जिसमें केन्द्रीय कारागार, आगरा से जिला कारागार, सहारनपुर अथवा सहारनपुर के समीपवर्ती किसी कारागार में स्थानान्तरित किये जाने का अनुतोष मांगा गया है। वर्तमान में याची बंदी जनपद-सहारनपुर के समीपवर्ती जनपद-मुजफ्फरनगर की कारागार में निरूद्ध है। याची बंदी के भाई श्री राहुल के प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश एवं वर्तमान निरूद्धि स्थल में भिन्नता के दृष्टिगत अस्वीकार किये जाने की संस्तुति महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की गयी है।

5- याची बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा द्वारा अपने भाई श्री राहुल के माध्यम से प्रस्तुत दिनांक रहित प्रत्यावेदन, सुनवाई के दौरान संज्ञान में लाये गये तथ्यों तथा महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ की आख्या के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त याची बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा पुत्र श्री हरीश शर्मा को जिला कारागार, मुजफ्फरनगर से जिला कारागार, सहारनपुर स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तदनुसार रिट याचिका संख्या-27600/2015-सन्नी उर्फ चिड़ा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2017 के अनुपालन में याची बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा पुत्र श्री हरीश शर्मा द्वारा अपने भाई श्री राहुल के माध्यम से प्रस्तुत दिनांक रहित प्रत्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या-60/2017/2716जेएल(1)/22-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वरिष्ठ अधीक्षक/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
5- याची बंदी सन्नी उर्फ चिड़ा पुत्र श्री हरीश शर्मा, द्वारा-वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in